



कार्यालय कलेक्टर

(आदिवासी विकास) जिला-धमतरी (छ0ग0)

E-mail. tribal.dhamtari@gmail.com, tribal.dmt@gmail.com Phone no. 07722-232142, Fax no. 07722-232143

:-:- सहायक अधीक्षक (संविदा) रिक्त पदों की मर्ती हेतु विज्ञापन :-:-

क्रमांक/553 /आदि0वि0/स्था0/2015-16, धमतरी,दिनांक 07/02/2016

आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छ0ग0 रायपुर के पत्र क्रमांक/टीएडीपी/फा-583/विकेस/आबंटन/2015-16/6023, रायपुर, दिनांक 26.09.2015 के स्वीकृति के आधार पर जिले में संचालित कन्या छात्रावास/आश्रमों में निवासरत् किशोरी बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण हेतु प्रशिक्षित ए0एन0एम0/नर्स की संविदा के आधार पर सहायक अधीक्षक के रूप में पदस्थापना (प्रतिमाह रु. 12000/- मानदेय + 3000/- विविध व्यय सहित) एक वर्ष के लिए दिनांक 19.02.2016 को सायं 5.00 बजे तक आवेदन आमंत्रित किया जाता है। इच्छुक (केवल) महिला अभ्यर्थी निर्धारित तिथि एवं समय में अपना आवेदन पत्र समस्त वांछित प्रमाण पत्रों को राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराकर निर्धारित तिथि तक कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला-धमतरी (छ0ग0) में पंजीकृत डाक से आमंत्रित किया जाता है।

क.	पदनाम/वेतनमान	अर्हताएं	कुल रिक्त पद	अजजा	रिमाक
01	02	03	04	05	06
01	सहायक अधीक्षक (संविदा) (प्रतिमाह रु. 12000/- मानदेय + 3000/- विविध व्यय यात्रा व्यय सहित)	(1) न्यूनतम हायर सेकेण्डरी कक्षा 12वीं उत्तीर्ण बांगोलोजी विषय के साथ। (2) महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का 18/02 वर्ष का प्रशिक्षण/शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से उत्तीर्ण होना चाहिए। (3) छत्तीसगढ़ नर्सिंग कौंसिल में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के तौर पर पंजीयन होना चाहिए।	03	03	भूतपूर्व सैनिक एवं निःशक्तजन के आवेदन उपलब्ध होने पर नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया जावेगा।

नोट :- शेष नियम, शर्तें, जानकारी एवं आवेदन पत्र का प्रारूप धमतरी जिले के वेबसाईट (www.dhamtari.govt.in) पर देखा जा सकता है।

01) सामान्य दिशा निर्देश :-

01 सर्वप्रथम धमतरी जिले के आवेदकों को प्राथमिकता दी जावेगी। पद रिक्त होने की स्थिति में चयन समिति के निर्णय अनुसार रायपुर संभाग के आवेदकों को प्राथमिकता दी जावेगी। (निवास प्रमाण-पत्र संलग्न करें।)

02 उम्मीदवार का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।

03 शारिरीक रूप से अपंग (विकलांगता न्यूनतम 40 प्रतिशत) उम्मीदवार (Physically Handicapped Disabled) हेतु आरक्षण नियमानुसार उपलब्ध होगा।

04 अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार के लिए आरक्षण छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अजजा वर्ग हेतु आरक्षण) नियम 2012 के अनुसार होगा।

05 विज्ञापित पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। (घटाई, बढ़ाई जा सकती है।)

कमश:2...

06 उक्त पदों पर नियमानुसार शासन द्वारा जारी नियमों/निर्देशों के अनुसार आरक्षण अनुसार व प्रवर्गवार (Horizontal And Compartmentalized Reservation) विकलांग/भू0पू0सै0 के लिए आरक्षण लागू होगा।

07 संविदा मानदेय-संविदा सेवा अवधि के दौरान एकमुश्त मानदेय 12000/- मानदेय+3000/- विविध व्यय सहित प्रतिमाह देय होगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का भत्ता/सुविधा देय नहीं होगा।

08 मात्र आवेदन करने पर किसी का चयन सुनिश्चित नहीं होगा। अंतिम चयन सूची जारी करने के पूर्व मूल प्रमाण पत्रों की जाँच की जाएगी, इसमें सही पाये जाने पर ही उनके चयन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

09 उपरोक्त संविदा अवधि 01 वर्ष के लिए होगी। आवश्यकता अनुसार पुनः मूल्यांकन पश्चात् सेवा अवधि बढ़ाई जा सकेगी अथवा सीधी भर्ती किए जाने पर संविदा पद स्वतः निरस्त हो जाएँगे। (जिनका सेवा अवधि एक वर्ष के पश्चात् बढ़ाई नहीं जाती है तो उनकी सेवा समाप्त माना जाएगा।

10 उक्त संविदा पर पदस्थ स्थान अस्थानांतरणीय होगा तथा नियुक्ति आदेशानुसार पदस्थापना स्थल में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय व पदस्थापना स्थल में अपनी उपस्थिति 15 दिवस के भीतर नहीं दिये जाने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।

11 संविदा पद पर नियुक्त कर्मचारी का Performance Appraisal नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

12 विज्ञापन में विज्ञापित पद अनुरूप निर्धारित अर्हताधारी अभ्यर्थी के ही आवेदन स्वीकार किये जावेंगे।

13 आवेदित पद पर चयनित होने मात्र से नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अंतिम रूप से नियुक्ति रिक्त पदों की वास्तविक उपलब्धता तथा अन्य आवश्यक प्रक्रिया/मापदण्डों पर निर्भर करेगी। (आवश्यक दस्तावेज एवं योग्यता)

14 उक्त पद के लिए प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 01 वर्ष तक अथवा नवीन भर्ती प्रक्रिया सम्पन्न होने जो पहले से ही तक रहेगी। इस समयविधि में स्वीकृत नए पद/त्यागपत्र अथवा किसी भी कारण से रिक्त होने वाले पदों को भी इसी प्रतीक्षा सूची में भरा जा सकेगा।

15 चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार द्वारा किसी भी प्रकार से किसी प्रकार का दबाव डलवाया जा रहा है या निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उनका आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं किया जावेगा।

16 भर्ती प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार चयन समिति को होगा जो सभी आवेदकों को मान्य होगा।

17 चयनित अभ्यर्थी को कार्य में उपस्थित होने के पश्चात् किसी भी समय नोटिस देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। इसी प्रकार उक्त अभ्यर्थी को त्याग-पत्र देने के पूर्व एक माह पहले सूचना देना होगा अन्यथा उनके द्वारा एक माह का वेतन जमा किया जाएगा।

18 आवेदन शुल्क-विकलांग/अजजा/भू0पू0सै0/स्व0सेनानी हेतु 200/- होगी। आवेदन शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट (राष्ट्रीयकृत बैंक का) के माध्यम से सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, धमतरी जिला-धमतरी (छ0ग0) के नाम से देय होगा।



19 आवेदक को विज्ञापन की शर्तों को पूर्ण करने संबंधी शपथ-पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

02) आयु सीमा :-

01 आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2016 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम एवं अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक न हो।

03) चयन प्रक्रिया :-

01 वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर मेरिट सूची तैयार किया जावेगा। ए0एन0एम0/नर्सिंग कार्य में अनुभव होने पर प्रत्येक वर्ष के लिए 05 अंक निर्धारित रहेंगे। अनुभव पर अधिकतम 25 अंक दिये जायेंगे।

उपरोक्तानुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव के आधार पर अधिकतम प्राप्त अंकों की मेरिट सूची कम में 01 पद के लिए अधिकतम 03 उम्मीदवारों को समूह चर्चा के लिए बुलाया जावेगा।

नोट :-

आवेदन पत्र प्राप्त होने का अंतिम तिथि सभी आवश्यक सहपत्रों सहित पूर्णतया भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 19.02.2016 को सांय 5.30 बजे तक रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट से आवश्यक रूप से प्राप्त हो जाना चाहियें। व्यक्तिगत रूप से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेगें। लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम लिखना अनिवार्य है। डाक अथवा किन्ही कारणों से किसी भी विलंब के लिये यह कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेगें तथा वे स्वतः ही निरस्त समझे जावेगें। इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य नहीं होगा।

(कलेक्टर महो०द्वारा अनुमोदित)



सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास,
वास्ते कलेक्टर,
जिला-धमतरी

18. आप विक्रम पुरस्कार विजेता है ? हाँ नहीं
19. क्या आपके पास आवेदित पद के लिये शैक्षणिक योग्यता है ? हाँ नहीं
20. क्या आप विवाहित हैं ? हाँ नहीं
विवाह की स्थिति में विवाह की तारीख :-
21. अंतिम जीवित बच्चों की संख्या :-
22. उक्त पद पर कार्य करने का अनुभव हो तो प्रमाण-पत्र संलग्न करें। :-
23. संलग्न प्रमाण-पत्रों की सूची :-
- 01.....02.....03.....
- 04.....05.....06.....
- 07.....08.....09.....
- 10.....11.....12.....

आवेदक के हस्ताक्षर

::--:: घोषणा पत्र ::--::

मैं प्रमाणित करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्णतः सत्य है एवं मैं, आवेदित पद हेतु निर्धारित आर्हता/योग्यता रखती हूँ। मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य पाये जाने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/नियुक्ति निरस्त की जा सकती है, तथा मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेंगी।

स्थान :-

दिनांक :-

आवेदक के
हस्ताक्षर
एवं पूर्ण स्थायी
पता